

1

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

::कार्यालय आदेशः

का0आ0-15/बि0स0से0-20-08/2016 सा0प्र0...152.../पटना-15, दिनांक...23.05.2017

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006 तथा संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक-390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक-7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 तथा संशोधन नियमावली, 2006 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ- 3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500/- पुनरीक्षित वेतन बैंड- रू0 9300-34800/-+ ग्रेड वेतन- रू0 4800/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	स्व0 सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक, 104 (भाग-2) 05.01.1957 / 03.07.2008 (मृत) आपदा प्रबंधन विभाग	08.06.2006
2	श्री संजय कुमार, सहायक, 496 (भाग-2) 01.01.1970 / 31.12.2029 आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ	30.12.2007
3	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक, 847 (xv)(भाग-2) 02.06.1966 / 30.06.2026 गृह (आरक्षी) विभाग	30.05.2008
4	श्री दिलीप कुमार शर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी, (1970) 31.01.1957 / 31.01.2017 प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया। सम्प्रति सेवानिवृत्त, अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	09.08.1999
5	श्री ब्रह्मदेव मंडल, सेवा निवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, 2868 30.07.1956 / 31.07.2016 मुख्यमंत्री सचिवालय	28.07.2001

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-3 पर श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक, गृह (आरक्षी) विभाग को विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने की अगली तिथि अर्थात् दिनांक 30.05.2008 के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ झारखंड राज्य से बिहार राज्य में योगदान की तिथि से भुगतेय होगा।

3. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

5. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (II) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

6. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए0सी0पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

(एम0एस0अंसारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.....152...../पटना-15, दिनांक.....23.05.17

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.....152...../पटना-15, दिनांक.....23.05.2017

प्रतिलिपि :-संबंधित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-15/बि0स0से0-20-08/2016सा0प्र0.....152...../पटना-15, दिनांक.....23.05.17

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा)/अवर सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी-15, 16 एवं 17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव